न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 22/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्रवणराम पुत्र हरीदास जाति साद निवासी थाटा तहसील डेगाना जिला नागौर।		तहसीलदार डेगाना जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री शेलेन्द्र सिंह कालवी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

दिनांकः 15.12.2022

निर्णय

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 18/2021 सरकार बनाम श्रवणराम में निर्णय दिनांक 27.10.21 के तहत मौजा थाटा की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 17.06.22 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 23.06.22 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 27.10.21 की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति–5, रसीद संख्या 5038 की फोटोप्रति, बिजली के बिल की फोटोप्रति, ग्राम थाटा के शुद्वि पत्र की फोटोप्रति, तहसीलदार डेगाना के प्रकरण संख्या 18/21 सरकार बनाम श्रवण के फर्द अहकाम 22.04.21 से 27.10.21 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, तहसीलदार डेगाना के पत्र क्रमांक 1916 दिनांक 27.10.21 की फोटोप्रति, ग्राम थाटा की जमाबंदी सम्वत 2067 से 76 की फोटोप्रति, नक्शा की फोटोप्रति, ग्राम थाटा की जमाबंदी सम्वत 2021 की फोटोप्रति, ग्राम थाटा के खसरा परिवर्तनशील पत्रक सम्वत 2053, 2054, 2057, 2058, 2061 तथा 2062 की फोटोप्रति, मिलान क्षेत्रफल की फोटोप्रति, रसीद–3 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को एक नोटिस धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का दिया कि अपीलांट ने कृषि वर्ष 2078 में मौजा थाटा के खसरा नम्बर 97 गैर मुमकिन मगरा भूमि पर अवैध मकान व बाडा बना कर अतिचार किया है उसे हटावे या उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करे। जिस पर दिनांक 18.06.21 को अपीलांट/गैर सायल अपने अधिवक्ता के साथ तहसील कार्यालय में उपस्थित हुआ, उस समय कोरोना महामारी के कारण लोक डाउन की स्थिति थी। जिस पर तहसील कार्यालय में अपीलांट को यह बताया गया कि आज की उपस्थिति के हस्ताक्षर कर दो, कोरोना के लोक डाउन समाप्त होने के बाद जवाब आदि के लिए आपको दुबारा सूचित कर दिया जावेगा। जिससे अपीलांट आश्वस्त हो गया तथा वापिस अपने गांव आ गया व उसके पश्चात तहसील कार्यालय में नहीं गया व तहसील से सूचना आने का इंतजार करता रहा। हाल ही में दिनांक 15.06.22 को पटवारी हल्का ने गांव में आकर अपीलांट व 30–35 अन्य लोगो को यह कहा कि आप लोगो के पुराने कब्जे हटाने के आदेश तहसील से हो गये है तथा जल्द ही अपीलांट व दीगर लोगो के पुराने मकानात व कब्जे पुलिस ईमदाद से हटाने के बारे में बताया जिस पर अपीलांट ने तुरन्त तहसील कार्यालय में जाकर पता करवाया व नकलो का आवेदन उसी दिन पेश किया। जिस पर प्रमाणित प्रतियां दिनांक 16.06.22 को प्राप्त होने पर उनको पढाने पर पूरी जानकारी उक्त आदेश के बारे में हुई तथा आदेश के विरूद्व अपील करने की कानूनी राय मिलने पर तुरन्त नागौर आकर अपील पेश की गई। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम

अपर कलक्टर, नागौर

रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील कतई गलत, विधि विरूद्व बिना विधि प्रक्रिया अपना व बिना पुराने कब्जे आदि की जांच किये बाले बाले एकपक्षीय व मनमाने रूप से पारित किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– अपीलांट को उक्त आराजी पर कृषि वर्ष संवत 2078 में अतिचार करना बताया जाकर कथित नोटिस दिया व उसके पश्चात सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया, सुनवाई, साक्ष्य जवाबदेही आदि से वंचति रख कर उसकी पीछे आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलांट का कब्जा नया व संवत 2078 का न होकर पीढियो पुराना है यानि 50 वर्ष से अधिक समय से मौके पर अपीलांट के परिवार पर पक्का मकान बना हुआ है जिसमें परिवार सहित निवास करता है पशुओ का बाडा बना हुआ है जिसमें चारा फूस रखा जाता है व पशु धन बांधन के काम में लिया जाता है इस मकान में विद्युत कनेक्शन पुराने समय से लिया हुआ है व पंचायत के सर्वे में भी मकान नम्बर आये हुए है इसके अलावा समय समय पर सरकार द्वारा इसी मकान में अपीलांट व उसके परिवार का निवास मानकर आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि सरकारी दस्तावेज बनाये हुए है जिससे स्पष्ट है कि मौके पर अपीलांट का नया कब्जा नहीं होकर 50 वर्षो से अधिक समय का पुराना कब्जा है तथा भूमि की किस्म मगरा है जिसमें अन्य कई लोगो के समय समय पर पुराने कब्जे के आधार पर नियमन व आवंटन हो रखे है अपीलांट के मकान के चारो तरफ सैकडो मकानात व बाडे बने हुए है पुरी तरह से आवासीय प्रयोजनार्थ काम आ रही है सरकारी योजना विद्युत, जल आदि की व्यवस्था की हुई है ऐसे में मौके पर किसी प्रकार की मगरा भूमि नहीं है व पुराने कब्जे होने से समय समय पर सरकारी परिपत्रो अनुसार पुराने कब्जो को नियमन करने की सिफारिशे हो रखी है उसके तहत अपीलांट भी नियमन/ आवंटन का पात्र होने के बावजूद केवल मात्र गांव के राजनेतिक पार्टीबाजी के कारण पटवारी पर अनुचित दबाव व प्रभाव बनाकर व्यक्ति विशेष के विरूद्व मिथ्या रिपोर्टे करवा कर एकतरफा में आदेश जैर अपील पारित करवाया होने से निस्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश/निर्णय एक विधिक निर्णय की तारीफ में नहीं आता है मात्र चार लाईन का निर्णय पारित किया है जिसमें न तो अतिक्रमण रिपोर्ट का कोई विवरण लिखा है न ही पटवारी हल्का के बयान लिये है न ही जवाबदेही बंद करने व एकपक्षीय कार्यवाही करने का कोई अंकन है व केवल अधिवक्ता उपस्थित होने का अंकन करके निर्णय पारित किया है जबकि अधिवक्ता की उपस्थिति उस समय रही है जब प्रथम बार नोटिस मिलने पर अपीलांट वकालतनामा पेश करवाने आया व लोक डाउन की स्थिति होने से उस समय जवाब व साक्ष्य सबूत नहीं लिये थे व बाद की तारीख 05.07.21, 27.07.21. 27.08.21 पर गेर सायल व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति लिखी गयी है जबकि निर्णय में अधिवक्ता की उपस्थिति लिखी गयी है जिससे स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही एक ही दिन में बैठ कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये गैर कानूनी तरीखे से केवल मात्र अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करने के उद्वेश्य से ही की गयी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के साथ अन्याय हुआ है व जवाबदेही साक्ष्य सबूत से वंचित रहा है। यदि पर्याप्त अवसर दिया जाकर जवाब व साक्ष्य ली जाती तो ऐसा निर्णय कतई पारित नहीं हो सकता था। इसी कारण अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य से जानबूझ कर वंचित रखा ताकि पत्रावली पर अपीलांट के पुराने कब्जे बाबत साक्ष्य सबूत नहीं आ सके, ऐसी स्थिति में निर्णय जैर अपील हस्तक्षेप योग्य है।

{2}(IV)– पटवारी हल्का की कथित टी.पी. रिपोर्ट में भी खसरा नम्बर 97 में और कई भाग बाडे व मकानो के रूप में चिन्हित किये गये है। जिसके संबंध में न तो पटवारी से कोई पूछताछ की। न ही स्वयं तहसीलदार ने मौके पर आकर अपने स्तर पर कोई जाचं व निरीक्षण ही किया है अगर ऐसा करते तो यह स्थिति स्पष्ट हो जाती कि वहां पर सैंकडो मकानात बने हुए है, निवास किया जा रहा है तथा प्रकरण नियमन योग्य है। मगर तहसीलदार ने नियमन की सिफारिश न करके व अपने स्तर पर जांच नहीं करके पटवारी हल्का की कथित मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर बिना अपीलांट को सुने निर्णय पारित करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है।

{2}(V)– अपीलांट के कब्जे व पुराने रहवासी मकान के संबंध में किसी को भी कोई उजर आपति नहीं रही थी तथा ग्राम पंचायत ने भी इस भूमि को आबादी में आवंटन करने के लिए आवेदन कर रखा है जिस पर कार्यवाही होने से यह भूमि आबादी की आवासीय भूमि हो जायेगी तथा उस पर बसे हुए लोगो को आवासीय पटटे जारी जो जायेगें व सरकार की भी ऐसी मंशा रही है व इस संबंध में समय समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे है मगर पटवारी हल्का से कुछ समूह विशेष के लोगो ने मिथ्या रिपोर्ट करवा कर इस तरह का आदेश पारित करवाया है। जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(VI)–अपीलांट व उसके परिवार के निवास के लिए अन्य कोई स्थान नहीं है। न ही पशुधन रखने व चारा फूस डालने की अन्य कोई जमीन व मकान है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट के 50 वर्षों से अधिक समय से बना मकान, बाडा आदि को ध्वस्त कर दिया तो अपीलांट व उसके परिवार के निवास के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, अपूर्णीय क्षति होगी, विधिक अधिकारो पर भारी कुठाराघात होगा जबकि निर्णय जैर अपील विधि सम्मत नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत है जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा थाटा में स्थित गैर मुमकिन मगरा पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलांट व उसके अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके थाटा की राजकीय भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट व उसके अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन मगरा है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर